न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी रामकिशोर मीना

अपील संख्या 82/25 तारीख रज्जू– 19/02/25

1. राजेश पुत्र हंसराज उम्र 32 साल जाति खारवाल निवासी गढी गोपालपुरा तहसील बरनाला। –अपीलार्थी

बनाम

–रेस्पोडेन्ट

1. .सरकार जरिये तहसीलदार बरनाला ।

निर्णय दिनांक 23.07.2025

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार बरनाला द्वारा मिसल संख्या 67/2024 में पारित निर्णय दिनांक 09.01.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम गढ़ीगोपालपुरा के आराजी ख0नं0 1024,1044 रकबा 0.22,0.15 है0 कुल रकबा 0.37 है0 किस्म चरागाह पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने के दण्ड से तथा सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि निर्णय अदालत मातहत खिलाफ कानून व रूऐदाद मिसल है जो खारिज होने योग्य है।अदालत मातहत ने अपीलार्थी का पश्चातवर्ती अतिकमी साबित ना होते हुये भी अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिकमी मानकर अपीलार्थी को सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करने में कानूनी भूल की है। उक्त निर्णय की जानकारी अपीलार्थी को नहीं थी। अदालत मातहत द्वारा भी अपीलार्थी को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था। अदालत मातहत द्वारा पारित नोटिस अपीलार्थी को नहीं मिलकर अन्य दीगर व्यक्ति को दिये गये थे, जिसकी जानकारी अन्य अतिकमियों के द्वारा बताने पर अपीलार्थी ने उपस्थित होकर जबाब पेश करना चाहा लेकिन पेश होने से पूर्व ही अदालत मातहत द्वारा निर्णय पारित कर दिया गया था। अदालत मातहत ने इस तथ्य पर कतई गौर नहीं फरमाया कि पत्रावली में पश्चातवर्ती अतिकमी से संबंधित कोई दस्तावेज पत्रावली में संलग्न नहीं है। ना ही हल्का पटवारी की दैनिक डायरी कोई प्रति ही पत्रावली के साथ पेश की गई है। उसके बावजूद भी अदालत मातहत ने अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिकमी मानकर सिविल कारावस के दण्ड से दण्डित करने में कानूनी भूल की है। अदालत मातहत ने कानूनी प्रावधानों की पूरी तरह से अवहेलना की है तथा मात्र हल्का पटवारी के बयानों के आधार पर ही अपीलार्थी को सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करने में कानूनी भूल की है। साथ ही पटवारी हल्का की नवीन रिपोर्ट दिनांक 27.06.2025 में अंकित किया है कि अतिकमी द्वारा मौके से कब्जा हटा लिया है। अतिकमी द्वारा माननीय न्यायालय के म0नं0 67/24 के निर्णय की पालना में पेनल्टी राशि बकाया है। अपीलार्थी पक्ष ने अपने साक्ष्य के रूप में एक शपथ पत्र इस आशय का भी प्रस्तुत किया है कि वह उक्त वाद आराजीयात पर भविष्य में अतिकमण नहीं करेगा, साथ ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Kishor Meena
Date: 2025.09.15 12:49:44 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

धिवक्ता अपीलान्ट ने उक्त अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया है।

विद्वान वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान करने तथा अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी का अतिक्रमण पाये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता व अवैधानिकता नहीं है। पेरोकार सरकार ने दौरान बहस यह भी निवेदन किया है कि साथ ही पेरोकार सरकार ने अपील अपीलार्थी खारिज करने हेतु निवेदन किया है।

दोनों पक्षों की बहस सुनने,उस पर मनन करने तथा पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकलता है कि अदालत मातहत के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध अतीचार की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई सबूत हेतु नोटिस जारी किया गया । जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। जहां तक अपीलार्थी के पूर्ववर्ती अतिचारी होने के प्रश्न है तो पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट एवं बयान में पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना अंकित किया हुआ है। पटवारी हल्का की नवीन रिपोर्ट दिनांक 27.06.2025 में अंकित किया है कि अतिकमी द्वारा मौके से कब्जा हटा लिया है। अतिकमी द्वारा माननीय न्यायालय के मु0नं0 67/24 के निर्णय की पालना में पेनल्टी राशि बकाया है,साथ ही अपीलार्थी ने उक्त वाद आराजीयात पर भविष्य में अतिकमण नहीं करने हेतु शपथ पत्र भी न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया है।

अतः उपरोक्त विवचेना के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय में अपीलान्ट को दी गई सिविल कारावास की सजा की हद तक निरस्त किया जाता है तथा शेष आदेश शास्ति , बेदखली व फसल निलामी को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23/07/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामकिशोर मीना)
अति0 जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Kishor Meena
Date: 2025.09.15 12:49:44 IST
Reason: SelfAttested